राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2100/2018

1. हेमराज पुत्र मदना, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी सबदाड़ा, तहसील आसींद
2. शेर सिंह पुत्र प्रेम सिंह रावत, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी मान सिंह जी का खेड़ा, तहसील आसींद
3. भंवर पुत्र मोहन खाती, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी सबदाड़ा, तहसील आसींद
4. शिवलाल पुत्र छोगा, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी सबदाड़ा, तहसील आसींद
5. लाडूरा पुत्र बरदा गुर्जर, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी सबदाड़ा, तहसील आसींद

----याचिकाकर्तागण

बनाम

राजस्थान राज्य, मार्फत लोक अभियोजक

----प्रतिवादी

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री हर्षित यादव

प्रतिवादी की ओर से : श्री विक्रम राजपुरोहित, उप-राजकीय अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति फरजंद अली

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

27/02/2025

1. धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत यह तत्काल आपराधिक विविध याचिका दायर करके, याचिकाकर्ता वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 और 51 के तहत अपराधों के लिए, आंचलिक वन अधिकारी, आसींद, जिला भीलवाड़ा के कार्यालय में पंजीकृत प्राथमिकी संख्या 89-2/2018 को रद्द करने की मांग करते हैं, साथ ही उससे उत्पन्न होने वाली सभी आगे की कार्यवाहियों को भी।

2. अभिलेख से सामने आ रहे मामले के तथ्य यह हैं कि 21.04.2018 को, जमनादास वैष्णव, निवासी भरलिया, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा, पर एक जंगली तेंदुए ने गांव सबदाड़ा, तहसील आसींद, जिला भीलवाड़ा में हमला किया, जब वह सुबह शौच के लिए बाहर था। उसकी चीखें सुनकर, ग्रामीणजन एकत्र हुए, और तेंदुए ने पास के एक खंडहर में शरण ली। वन और पुलिस विभागों के अधिकारियों के दूरी बनाए रखने के निर्देशों के बावजूद, कुछ व्यक्तियों ने लाठियों से तेंदुए पर हमला किया, जिससे चोटें आईं। घायल तेंदुए को बाद में वन कर्मचारियों द्वारा पकड़ लिया गया और उच्च अधिकारियों के निर्देशों के तहत नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर ले जाने से पहले प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ और अखबारों में प्रकाशित हुआ, जिससे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वन गार्ड पोस्ट, आसींद में दिनांक 22.04.2018 को प्राथमिकी संख्या 89/02 पंजीकृत हुई। इसके पश्चात्, छह अभियुक्तों को 27.04.2018 को गिरफ्तार किया गया और विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तत्पश्चात्, अभियुक्तों ने इस न्यायालय के समक्ष एस.बी. आपराधिक विविध जमानत संख्या 4385/2018 दायर की, जिसने उन्हें 07.05.2018 को जमानत दी। बाद में, अभियुक्तों ने प्राथमिकी को चुनौती देते हुए और आगे की कार्यवाही पर रोक की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2100/2018 दायर की, जिस पर इस न्यायालय ने आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया। मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसींद के समक्ष मामला संख्या 89-02/2018 में कार्यवाही वर्तमान याचिका के परिणाम से बाध्य होगी।

3. दोनों पक्षों के उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया गया।

4. वर्तमान मामले को शासित करने वाले तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, यह न्यायालय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वैधानिक ढांचे की जांच करना उचित समझता है।

5. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 कहती है:–

 "शिकार पर रोक। - कोई भी व्यक्ति अनुसूची *I, II, III* और *IV* में विनिर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर का शिकार नहीं करेगा सिवाय जैसा कि धारा *11* और धारा *12* के तहत प्रदान किया गया है।"

6. धारा 51 अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करती है, जिसमें कारावास जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पच्चीस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों का प्रावधान है।

7. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2(16) "शिकार" को परिभाषित करती है जिसमें शामिल हैं—

(क) किसी भी जंगली जानवर या बंदी जानवर को मारना या जहर देना और ऐसा करने का हर प्रयास*;*

(ख) किसी भी जंगली या बंदी जानवर को पकड़ना, दौड़ाना, फंसाना, जाल में फंसाना, हांकना, या चारा डालना और ऐसा करने का हर प्रयास*;*

(ग) ऐसे जानवर के शरीर के किसी भी हिस्से को चोट पहुंचाना, नष्ट करना, या लेना या, जंगली पक्षियों या सरीसृपों के मामले में, ऐसे पक्षियों या सरीसृपों के अंडों को नुकसान पहुंचाना, या ऐसे पक्षियों या सरीसृपों के अंडों या घोंसलों को परेशान करना।

8. वर्तमान मामले में, कथित कृत्य अधिनियम के तहत परिभाषित "शिकार" के दायरे में सख्ती से नहीं आता है, क्योंकि जंगली जानवर का शिकार करने, पकड़ने, या मारने के जानबूझकर इरादे का सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। किसी कृत्य को "शिकार" के रूप में योग्य होने के लिए, जानवर का पता लगाने और मारने के लिए स्पष्ट तैयारी, इरादा और प्रयास होना चाहिए। वर्तमान मामले में, जंगली तेंदुए ने एक मानव बस्ती में प्रवेश किया था, जिससे ग्रामीणों के बीच भय की स्थिति पैदा हो गई थी। अभियुक्तों की कार्यवाही शिकार का कार्य होने के बजाय, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और जानवर द्वारा किसी भी संभावित हमले को रोकने के उद्देश्य से थी। मानव जीवन को नुकसान से रोकने के लिए जंगली जानवर को भगाने की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 2(16) के अर्थ में शिकार करना नहीं है।

9. इसके अलावा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(2) कहती है:–

(2) स्वयं की रक्षा में या किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा में सद्भाव में किसी भी जंगली जानवर को मारना या घायल करना अपराध नहीं होगा*:*

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी ,किसी भी व्यक्ति को भारमुक्त नहीं करेगा, जो, जब ऐसी रक्षा आवश्यक हो जाती है, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में कोई कृत्य कर रहा था।

(3) किसी भी व्यक्ति की रक्षा में मारा गया या घायल हुआ कोई भी जंगली जानवर सरकारी संपत्ति की होगा।

10. उपरोक्त वैधानिक प्रावधान से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी में गुण की कमी है, क्योंकि यह कृत्य आत्मरक्षा में और मानव जीवन की रक्षा के लिए सद्भाव में किया गया था। अभियुक्त व्यक्ति घटना से पहले किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं थे, न ही सुरक्षा के लिए आवश्यक से परे तेंदुए को नुकसान पहुंचाने का कोई जानबूझकर प्रयास था। परिस्थितियां स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि तेंदुए ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए एक आसन्न खतरा पैदा किया था, जिससे चोट या जान के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो गई थी। इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 11(2) के तहत पूरी तरह से संरक्षित हैं, और उनके कार्य अपराध का गठन नहीं करते हैं।

11. यह न्यायालय इस सिद्धांत के प्रति भी सचेत है कि, यह निर्धारित करने में कि क्या अभियुक्त ने जंगली जानवर को चोट पहुंचाते समय आत्मरक्षा में कार्य किया, जानवर की प्रकृति और क्रूरता पर विचार किया जाना चाहिए। एक तेंदुआ, एक बाघ की तरह, फेराए नेचरई (जंगली और अंतर्निहित रूप से खतरनाक प्रजाति) की श्रेणी के तहत आता है— मंसुआटे नेचरई के विपरीत, जैसे घरेलू जानवर, जैसे कुत्ते या घोड़े, जो केवल विशिष्ट मामलों में आक्रामकता प्रदर्शित कर सकते हैं। जब फेराए नेचरई द्वारा एक आसन्न हमला का सामना करना पड़ता है, तो किसी व्यक्ति से बारीक सटीकता के साथ स्थिति का आकलन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, यह अनुमान कि यह कृत्य मानव जीवन की रक्षा में किया गया था, अधिक आसानी से खींचा जाता है, कम खतरनाक या हानिरहित वन्यजीवों, जैसे पक्षियों, को शामिल करने वाले मामलों के विपरीत। वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, जहां तेंदुए ने पहले ही एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था और ग्रामीणों के लिए एक निरंतर खतरा पैदा कर रहा था, अभियुक्तों की कार्यवाही वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(2) के तहत परिकल्पित आत्मरक्षा के दायरे में पूरी तरह से आती है।

12. "शिकार" और "आत्मरक्षा" के बीच अंतर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मामलों में अक्सर एक महत्वपूर्ण विचार होता है। अधिनियम की धारा 9 को लागू करने के लिए आवश्यक अपरिहार्य शर्त शिकार करने के एक स्पष्ट इरादे का अस्तित्व है। वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं कि तेंदुआ गांव में घुसा, और याचिकाकर्ता ने शिकार के इरादे से जंगली जानवर की तलाश में सक्रिय रूप से स्थान पर जाने का साहस नहीं किया। घटनाओं का अनुक्रम स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि एक मानव बस्ती में तेंदुए की उपस्थिति ने ग्रामीणों के बीच भय और परेशानी का माहौल बनाया। एक जंगली तेंदुए का आबादी वाले क्षेत्र में

अचानक प्रवेश स्वाभाविक रूप से व्यापक भय और घबराहट को उत्प्रेरित करता है। कुछ व्यक्ति, शोर सुनकर, सहज रूप से बाहर भागे—कुछ डर से, अन्य जिज्ञासा से, और कई अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के प्रयास में। परिणामी मानवीय प्रतिक्रिया, चाहे रक्षात्मक प्रवृत्ति, तात्कालिकता की भावना, या केवल जिज्ञासा से प्रेरित हो, को अधिनियम के अर्थ में "शिकार" के कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। ग्रामीणों का आचरण, जानवर को पकड़ने या मारने के किसी भी पूर्व नियोजित इरादे के बजाय, खतरे की एक तत्काल और भारी आशंका से प्रेरित होकर, धारा 9 के तहत निषिद्ध गतिविधियों के दायरे में नहीं आता है। इसलिए, ऐसे सहज और रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को शिकार के अपराध के साथ समान करना कानूनी रूप से असमर्थनीय होगा।

13. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, भारत का प्राथमिक दंड कानून है और इसमें सामान्य अपवाद शामिल हैं जो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां विशेष कानून विशेष पहलुओं पर मौन हैं। ये अपवाद व्यापक अनुप्रयोग के हैं और विशिष्ट स्थितियों में कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। वर्तमान मामले में, आईपीसी की धारा 81 सीधे लागू होती है। धारा 81 कहती है:–

"हानि पहुँचाने की संभावना वाला कार्य, लेकिन आपराधिक इरादे के बिना, और अन्य हानि को रोकने के लिए किया गया।—कोई भी बात केवल इस कारण से अपराध नहीं है कि यह इस ज्ञान के साथ की गई है कि इससे हानि होने की संभावना है, यदि यह हानि पहुँचाने के आपराधिक इरादे के बिना, और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य हानि को रोकने या टालने के उद्देश्य से सद्भाव में की गई हो।

स्पष्टीकरण।—ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि क्या रोकी जाने वाली या टाली जाने वाली हानि ऐसी प्रकृति की थी और इतनी आसन्न थी कि उस कार्य को करने के जोखिम को न्यायसंगत ठहराया जाए या माफ किया जाए, यह जानते हुए कि इससे हानि होने की संभावना थी।"

14. वर्तमान मामले में अभियुक्तों का तेंदुए को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, बल्कि मानव जीवन के आसन्न खतरे को रोकने के लिए सद्भाव में कार्य किया। स्थिति ने एक साथी ग्रामीण को आगे के हमले से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों की प्रतिक्रिया, भले ही इससे जानवर को चोट लगी हो, न तो पूर्व नियोजित थी और न ही किसी गैरकानूनी मकसद से प्रेरित थी, बल्कि केवल एक बड़ी हानि को रोकने के लिए थी। धारा 81 आईपीसी में निहित आवश्यकता का सिद्धांत यहां लागू होता है, क्योंकि अभियुक्तों को मानव जीवन की सुरक्षा और जानवर को संभावित नुकसान के बीच चयन करना पड़ा। यह देखते हुए कि तेंदुए ने पहले ही एक व्यक्ति पर हमला कर

दिया था और खतरा पैदा करना जारी रखा था, ग्रामीणों की कार्यवाही इस प्रावधान के तहत न्यायसंगत थी।

15. आपराधिक न्यायशास्त्र के क्षेत्र में, एक्टस रीअस (दोषी कार्य) और मेन्स रीआ (दोषी मन) के मौलिक सिद्धांत एक अभियुक्त व्यक्ति के दोष को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक मात्र कार्य, आपराधिक मन की स्थिति से रहित, स्वचालित रूप से अपराध का गठन नहीं करता है जब तक कि आवश्यक मेन्स रीआ स्थापित न हो जाए। वर्तमान मामले में, भले ही अभियोजन पक्ष के मामले में निर्धारित आरोप अपने उच्चतम पर लिए जाएं, अभियुक्तों के कार्य किसी भी तरीके से दोषी मन या आपराधिक इरादे की उपस्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जो उनके खिलाफ लागू किए गए दंड प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मेन्स रीआ का सिद्धांत आपराधिक कानून में गहराई से जुड़ा हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि गलत इरादे या जानबूझकर दोषी मन की स्थिति के अभाव में दायित्व लागू नहीं किया जाता है। अभियुक्त व्यक्ति, रिकॉर्ड से सामने आ रहे तथ्यों के अनुसार, एक पूर्व नियोजित या गैरकानूनी कृत्य में शामिल होने के बजाय एक आसन्न और जीवन-घातक स्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनका आचरण जंगली जानवर पर हानि पहुंचाने की किसी भी सचेत इच्छा के बजाय आवश्यकता और आत्म-संरक्षण द्वारा निर्धारित किया गया था। आपराधिक दायित्व को व्यक्तियों पर केवल इसलिए नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि हानि हुई है; बल्कि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह कृत्य अपराध करने के इरादे या कानून की जानबूझकर अवहेलना के साथ था। तत्काल मामले में, आपराधिक इरादे का आवश्यक घटक स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले की बहुत नींव को खारिज कर दिया जाता है। इसलिए, मेन्स रीआ के अभाव में, अभियुक्तों के खिलाफ दंड प्रावधानों का आह्वान कानूनी रूप से अवहनीय है।

16. नतीजतन, यह न्यायालय आंचलिक वन अधिकारी, आसींद, जिला भीलवाड़ा के कार्यालय में पंजीकृत प्राथमिकी संख्या 89-2/2018, और उससे निकलने वाली सभी आगे की कार्यवाहियों को रद्द करना न्यायसंगत और उचित समझता है।

17. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

18. स्थगन याचिका का निपटान किया जाता है।

(फरजंद अली), जे

5-ममता/-

अस्वीकरणः- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़